

### **EXTRAORDINARY**

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

# प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 787] No. 787]

नई दिल्ली, सोमवार, नबम्बर 5, 2018/कार्तिक 14, 1940

NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 5, 2018/KARTIKA 14, 1940

#### वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमाशुल्क बोर्ड)

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 नवम्बर, 2018

### सं. 61/2018-केंद्रीय कर

सा.का.नि.1084(अ).—केंद्रीय सरकार, केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12), जिसे इस अधिसूचना में इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है, की धारा 51 के साथ पठित धारा 1 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग की अधिसूचना सं. 50/2018-केंद्रीय कर, तारीख 13 सितंबर, 2018, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. सं. 868(अ), तारीख 13 सितम्बर, 2018 द्वारा प्रकाशित की गई थी, में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात:--

उक्त अधिसूचना के परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंतः स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"परंतु यह और कि इस अधिसूचना की कोई बात किसी पब्लिक सेक्टर उपक्रम से किसी अन्य पब्लिक सेक्टर उपक्रम को, चाहे वह सुभिन्न व्यक्ति हो या न हो, माल या सेवाओं या दोनों के प्रदाय को 1 अक्तूबर, 2018 से लागू नहीं होगी ।"।

[फा.सं. सीबीईसी/20/06/16/2018-जीएसटी]

डा श्रीपार्वती एस एल अवर सचिव

**टिप्पण:-** मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का;िन; सं. 868(अ), तारीख 13 सितम्बर, 2018 द्वारा प्रकाशित की गई थी और सा.का.िन; संख्यांक 1057(अ), तारीख 23 अक्तूबर, 2018 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना संख्यांक 57/2018-केंद्रीय कर, तारीख 23 अक्तूबर, 2018 द्वारा पश्चातवर्ती संशोधन किया गया।

6542 GI/2018 (1)

#### MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS )

#### **NOTIFICATION**

New Delhi, the 5th November, 2018

#### No. 61/2018-Central Tax

**G.S.R. 1084(E).**— In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 1, read with section 51 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), hereafter in this notification referred to as the said Act, the Central Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance, Department of Revenue No. 50/2018-Central Tax, dated the 13<sup>th</sup> September, 2018, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R 868(E), dated the 13<sup>th</sup> September, 2018, namely:–

In the said notification, after the proviso, the following proviso shall be inserted, namely:-

"Provided further that nothing in this notification shall apply to the supply of goods or services or both from a public sector undertaking to another public sector undertaking, whether or not a distinct person, with effect from the  $1^{st}$  day of October, 2018.".

[F. No. CBEC/20/06/16/2018-GST]

Dr. SREEPARVATHY S.L., Under Secy.

**Note:-** The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R 868 (E), dated the 13th September, 2018 and subsequently amended vide notification No. 57/2018-Central Tax, dated the 23rd October, 2018, published vide number G.S.R 1057(E), dated the 23rd October, 2018.